न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 248/19 निर्णय दिनांक :— 17-12-19

उनवान

1. रामा देवी पत्नि श्री हरिनारायण जाट निवासी ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान।

——प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।.

——अप्रार्थी

<u>दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188, 92ए, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट</u>

वादी ने वाद पत्र निम्न प्रकार पेश किया :—

तहसील चाकसू के ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा पटवार हल्का सवाई माधोसिंहपुरा मे खसरा न. 1086 रकबा 1.80 खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

1087 रकबा 0.87 कुल किता 2 कुल रकबा 2.67 हैक्टयर स्थित है जिसमें वादिया का हिस्सा 3/4 है जो वादिया के नाम दर्ज है किन्तू खाते मे वादिया का नाम रामा पत्नि हरिनारायण निवासी ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा की जगह रामा पुत्री गजानंद निवासी निवाई के नाम दर्ज हो रखा है। वादग्रस्त अराजी वादिया के पिता ने वादिया के नाम से क्रय की थी तभी से वादिया का नाम रामा देवी पत्नि हरिनारायण निवासी ग्राम सवाईमाधोसिंहपुरा की जगह रामा पुत्री गजानन्द निवासी निवाई के नाम दर्ज हो रखा है जो एक जो एक लिपीकिय त्रुटी के कारण सहवन से गलत दर्ज हो रखा है। वादिया के सम्पूर्ण दस्तावेजों मे राशन कार्ड, आधार कार्ड, आदि में वादिया का नाम रामा देवी पत्नि हरिनारायण निवासी ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा है तथा वादिया को आमजन रामा देवी पत्नि हरिनारायण के नाम से ही जानते है तथा रामा देवी पुत्री गजानंद कोई अन्य व्यक्ति नही होकर रामा देवी ही है इस नाम का कोई ओर व्यक्ति नही है यह केवल एक लिपिकीय त्रुटि है। दिनांक 05.09.2019 को वादी के.सी.सी हेतू बैक गया तो प्रथम बार ज्ञात हुआ कि वादिया का नाम रामा देवी पत्नि हरिनारायण निवासी ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा की जगह रामा पुत्री गजानंद निवासी ग्रम निवाई के नाम दर्ज होने के कारण बैंक कर्मचारियों ने केसीसी देने से मना कर दिया इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद की

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।
सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय
दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती का डिकी किया जाकर वादिया का नाम रामा पुत्री गजानन्द निवासी निवाई की जगह रामा देवी पत्नि हरिनारायण निवासी सवाईमाधोसिंहपुरा किया जावे। दावा वकील वादी ने पेश किया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार प्राप्त होने पर जवाब बन्द किया जाकर वकील वादिया की बहस दावा सुनी गयी वादी ने दावे का समर्थन करते हुये प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वादिया के पति का नाम अंकन किया जाना जाहिर किया गया। वादीगण ने दावे के समर्थन में आधार कार्ड चुनाव पहचान पत्र, राशन कार्ड, विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी।

वकील वादी की बहस पर गोर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया तो आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र एवं राशनकार्ड में वादी का नाम रामा देवी पत्नि हरिनारायण अंकित है विक्रय पत्र में रामा देवी पुत्री गजानन्द जाट अंकित हो गया जो एक लिपिकीय भूल है इसे शुद्ध किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादीग्रस्त भूमि वाके ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा के खसरा नम्बर 1086 रकबा 1.80 है0 1087 रकबा 0.87 हे0 किता 2 रकबा 2.67 हे0 वादिया का हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

3/4 में वादिया का नाम रामा देवी पुत्री गजानन्द निवासी निवाई के स्थान पर रामा देवी पत्नि हरिनारायण निवासी सवाईमाधोसिंहपुरा शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार डिक्री जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.01.17 17:31:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: